

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) राजस्थानी के निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं—

क्र.सं.	नाम	कहाँ से (राउमावि)	Distt	कहाँ को (राउमावि)	Distt
1	मदनसिंह	राउमावि, सरवाड़ी चारणान्	Barmer	राउमावि, जुड़ियां, शेरगढ़ जिला जोधपुर	Jodhpur

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 08.06.2018 तक कार्यग्रहण करेंगे। जिन कार्मिकों का परीवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका/ शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/ निलम्बित/ कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें एवं निदेशालय को सूचित किया जावे। यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण विधवा/ दिव्यांग के विरुद्ध हो गया है तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे अन्यथा प्रभारी संस्था प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही डाईट में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावें। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित उपनिदेशक कार्यालय में आदेशों की प्रतिक्षा में कार्यमुक्त करें। जिन व्याख्याताओं को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है वे अपनी उपस्थिति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देंगे, इनके आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।



(निम्नलिखित)  
आई.ए.एस.  
निदेशक,

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)


क्रमांक—शिविरा—मा / सी—५ / स्थानान्तरण—पदस्थापन/2018

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  
दिनांक:— २३-०५-२०१८

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप—२) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
3. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक.....
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक.....
5. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि .....
6. कम्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
7. संबंधित कार्मिक
8. रक्षित पत्रावली

को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावें।



(निम्नलिखित)  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर